25 (3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यपालकों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार–क्षेत्र

अधोहस्ताक्षरी को सरकारी क्षेत्र कि उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 5 मार्च, 1982 के का.ज्ञा. सं. 118/6/81 ए.वी.डी.I का हवाला देने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त का. ज्ञा. में दिए गए निर्देशों के अनुसार लोक उद्यमों के उन कर्मचारियों के सतर्कता मामले, जो उस वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हों, जिसकी न्यूनतम राशि 1800/–रू. प्रतिमाह से कम न हो, सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाने आवश्यक है। सरकार ने हाल में इन व्यवस्थापकों पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि भविष्य में केवल बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के सतर्कता मामलों को निपटाना ही सरकार का दायित्व होगा। जो कि नियुक्ति प्राधिकारी है। बोर्ड स्तर के निचले स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में मुख्य सतर्कता आयुक्त को कोई हवाला दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इन कार्मिकों नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते निदेशक बोर्ड को इन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्तियां होगी।

2. कृषि मंत्रालय इन निर्देशों को कृपया, अनुपालनार्थ देखें तथा इन निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी सूचित करें।

(27 अक्टूबर, 1986 का डी पी ई का का. ज्ञा. सं. 18(13)/84–जीएम)